संख्या- 71/2026/001-1457-81-4-2026

प्रेषक,

नीरजा सक्सेना,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक,
(वन्यजीव सहित), उत्तर प्रदेश।

पर्यावरण, एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 17 अगस्त, 2026

विषय:- अनुदान सं0-60 के अन्तर्गत जिला सेक्टर की शहरी क्षेत्र में सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष, जनपदवार, प्रभागवार वित्तीय स्वीकृति जारी कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-पी-49/36-बी-15(जी)/बजट(2026-27), दिनांक 09.07.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-60 के **जिला सेक्टर की शहरी क्षेत्र में सामाजिक वानिकी** योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि 1272.49 लाख के सापेक्ष धनराशि **रू0 1272.49 लाख** (**रुपये बारह करोड़ बहत्तर लाख उनचास हजार मात्र**) की धनराशि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में निहित निर्देशों/प्राविधानों एवं निम्न अंकित शर्तो एवं प्रतिबंधो के अधीन आपके निर्वतन पर निम्न जनपदवार/प्रभागवार रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

योजना-शहरी क्षेत्र में सामाजिक वानिकी योजना (जिला योजना)
चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के पूरे वर्ष के व्यय हेतु स्वीकृत धनराशि का आवंटन
अनुदान सं0-60 के पूंजीलेखा के लेखाशीर्षक-4406-वानिकी तथा वन्यजीव पर पूंजीगत परिव्यय-01-वानिकी-102-समाज तथा फार्म वानिकी-04-शहरी क्षेत्र में सामाजिक वानिकी (जिला योजना)-24-वृहत निर्माण कार्य

(रू० लाख में)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0 सं0	मण्डल/जनपद/प्रभाग का नाम		स्वीकृत धनराशि
	जनपद का नाम	प्रभाग का नाम	
1	2	3	4
1	आगरा	आगरा	10.95
2	मैनपुरी	मैनपुरी	15.25
3	मथुरा	मथुरा	18.87
4	फिरोजाबाद	फिरोजाबाद	21.00
	योग:-आगरा मण्डल		**66.07**
5	अलीगढ	अलीगढ	20.05
6	हाथरस	हाथरस	15.47
7	एटा	एटा	20.81
8	कासगंज	कासगंज	19.55
	योग:-अलीगढ मण्डल		**75.88**
9	बरेली	बरेली	24.88
10	बदायूं	बदायूं	0.34
11	पीलीभीत	पीलीभीत	18.16
12	शाहजहांपुर	शाहजहांपुर	2.73
	योग-बरेली मण्डल		**46.11**
13	मेरठ	मेरठ	5.90
14	बागपत	बागपत	4.24
15	गाजियाबाद	गाजियाबाद	1.87

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

16	हापुड	हापुड	5.69
17	गौतमबुद्धनगर	गौतमबुद्धनगर	6.32
18	बुलंदशहर	बुलंदशहर	3.48
	योग-मेरठ मण्डल		**27.50**
19	सहारनपुर	सहारनपुर	10.01
		शिवालिक	0.00
20	मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर	9.47
21	शामली	शामली	2.28
	योग-सहारनपुर मण्डल		**21.76**
22	मुरादाबाद	मुरादाबाद	0.30
23	सम्भल	सम्भल	7.08
24	अमरोहा	अमरोहा	5.31
25	रामपुर	रामपुर	18.71
26	बिजनौर	बिजनौर	3.18
		नजीबाबाद	0.00
	योग-मुरादाबाद मण्डल		**34.58**
27	वाराणसी	वाराणसी	22.39
28	चंदौली	चंदौली	19.07
29	गाजीपुर	गाजीपुर	17.60
30	जौनपुर	जौनपुर	19.80
	योग-वाराणसी मण्डल		**78.86**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

31	संतरविदासनगर	संतरविदासनगर	14.81
32	मिर्जापुर	मिर्जापुर	22.07
		कैमूर वन्यजीव	0.00
33	सोनभद्र	सोनभद्र	11.09
		रेनूकूट	0.00
		ओबरा	1.00
		कैमूर वन्यजीव	0.00
	योग-विन्ध्यांचल मण्डल		**48.97**
34	गोरखपुर	गोरखपुर	16.44
35	महाराजगंज	सोहागीबरवा वन्यजीव	21.37
		गोरखपुर पार्ट	4.37
36	देवरिया	देवरिया	18.33
37	पडरौना (कुशीनगर)	पडरौना (कुशीनगर)	11.99
	योग-गोरखपुर मण्डल		**72.50**
38	बस्ती	बस्ती	11.29
39	संतकबीरनगर	संतकबीरनगर	21.51
40	सिद्धार्थनगर	सिद्धार्थनगर	19.93
	योग:-बस्ती मण्डल		**52.73**
41	आजमगढ	आजमगढ	14.47
42	मऊ	मऊ	21.90
43	बलिया	बलिया	18.44

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	योग-आजमगढ मण्डल		**54.81**
44	प्रयागराज	प्रयागराज	24.53
45	कौशाम्बी	कौशाम्बी	36.62
46	फतेहपुर	फतेहपुर	2.44
47	प्रतापगढ	प्रतापगढ	23.39
	योग:-प्रयागराज मण्डल		**86.98**
48	लखनऊ	लखनऊ	16.64
49	रायबरेली	रायबरेली	2.80
50	हरदोई	हरदोई	19.59
51	उन्नाव	उन्नाव	27.26
52	सीतापुर	सीतापुर	27.56
53	खीरी	उ0 खीरी	34.72
		द0 खीरी	9.72
	योग:-लखनऊ मण्डल		**138.29**
54	अयोध्या	अयोध्या	30.90
55	अम्बेडकरनगर	अम्बेडकरनगर	2.22
56	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	25.46
57	अमेठी	अमेठी	25.69
58	बाराबंकी	बाराबंकी	25.83
	योग:-अयोध्या मण्डल		**110.10**
59	गोण्डा	गोण्डा	25.32

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

60	बलरामपुर	सोहेलवा वन्यजीव	2.03
		गोण्डा पार्ट	0.00
61	श्रावस्ती	श्रावस्ती	21.58
62	बहराईच	बहराईच	31.17
		श्रावस्ती पार्ट	0.00
		कतरनियाघाट वन्यजीव	21.83
	योग-देवीपाटन मण्डल		**101.93**
63	कानपुर नगर	कानपुर नगर	3.17
64	कानपुर देहात	कानपुर देहात	4.39
65	फर्रूखाबाद	फर्रूखाबाद	11.60
66	कन्नौज	कन्नौज	20.08
67	औरैया	औरैया	26.36
68	इटावा	इटावा	28.99
	योग-कानपुर मण्डल		**94.59**
69	झांसी	झांसी	25.88
70	ललितपुर	ललितपुर	24.32
71	जालौन	जालौन	28.59
	योग-झांसी मण्डल		**78.79**
72	हमीरपुर	हमीरपुर	18.33

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

73	महोबा	महोबा	30.31
74	बांदा	बांदा	18.24
75	चित्रकूट	रानीपुर टा0 रिजर्व	15.16
	योग:-चित्रकूट धाम मण्डल		**82.04**
	कुल योग		**1272.49**

(रुपये बारह करोड़ बहत्तर लाख उनचास हजार मात्र)

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध-</u>

1. उपरोक्त स्वीकृति इस शर्त पर निर्गत की जा रही है कि जनपदों की वास्तविक आवश्यकता का आकलन करते हुए भौतिक लक्ष्य निर्धारित किये जायें तथा जिला योजनाओं के अन्तर्गत जनपदवार/प्रभागवार परिव्यय निर्धारण के उपरान्त जारी स्वीकृतियों को आवंटित परिव्यय में समायोजित करते हुए यथावश्यकता अतिशीघ्र सम्बंधित जनपदों की जिला योजना समितियों का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त करना सुनिश्चित कर लिया जाय एवं किए गये/किए जाने वाले वृक्षारोपण कार्यो की पूर्ण सफलता सुनिश्चित की जाय।
2. उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। अतः जिस व्यय के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों अथवा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा शासन के वर्तमान आदेशानुसार शासन की अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति लिया जाना अपेक्षित है, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यतः प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज वित्तीय नियमों के अधीन ही किया जाय। भवनों के निर्माण कार्य के संबंध में नवीनतम निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित नियमों के अनुसार कार्यवाही सम्पादित कराई जाय। व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सी०ए०-1132/ दस-2004-1/2004,-दिनांक 07-01-2015 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण रूपेण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
4. विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/ वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 8 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5. स्वीकृत धनराशि के विरूद्ध योजना के अन्तर्गत जनपदवार/प्रभागवार/योजनावार भौतिक लक्ष्य तथा समय सारणी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्धारित किये जायेंगे। उनके द्वारा आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति निर्धारित समय-सारणी के अनुसार सुनिश्चित की जाय। योजनावार स्वीकृत धनराशि से किसी अन्य योजना का कार्य कदापि न कराया जाय।
6. उक्त जिला योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के नियमानुसार समुचित उपयोग हेतु संबंधित मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक स्वयं उत्तरदायी होंगे एवं कराए जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता तथा नियमानुसार निष्पादन हेतु उनकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
7. आवंटित धनराशि को यदि किसी ऐसे मद पर जिसके लिए वित्तीय हस्त-पुस्तिका एवं बजट मैनुएल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो, बिना स्वीकृति प्राप्त किये व्यय कदापि न किया जाय।
8. अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय न किया जाए और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाए।
9. आवंटित धनराशि के सभी बिलों चाहे वे वेतन आदि से संबधित हों अथवा आकस्मिक व्यय के संबंध में पर अनुदान सं0-60 सहित सही एवं सम्पूर्ण मुख्य, उप मुख्य, लघु, उप लघु, विस्तृत शीर्षक एवं मानक मदों को अंकित किया जाए, ताकि महालेखाकार उ0प्र0 को सही आकड़े के पुस्तांकन में कठिनाई न हो।
10. कृपया आवंटित व्यक्तिगत रूप से यह भी सुनिश्चित करें कि इन आवंटन से आपसे सम्बन्धित प्रभाग से आहरित की गयी धनराशि की प्रगति तथा भौतिक उपलब्धियों का विवरण निर्धारित प्रपत्र तथा बी0एम0-13 प्रपत्र में संकलित कर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक मण्ड्लीय मुख्य वन संरक्षक /वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, संबंधित जोनल मुख्य वन संरक्षक तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करा दिया जाये।
11. धनराशि के आवंटन की इस प्रक्रिया को अपनाने से विभागाध्यक्ष/वन संरक्षकों के निर्धारित उत्तरदायित्व पूर्ववत बने रहेंगें। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा आवंटित भौतिक व वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति तथा कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक उत्तर दायित्व होगें। अत: यह आवश्यक है कि समस्त जिला स्तरीय योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों की प्रगति का अनुश्रवण प्रत्येक माह करते रहें तथा प्रगति से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अवगत कराना सुनिश्चित करें, जो प्रत्येक स्तर की संकलित सूचना शासन को उपलब्ध करायेंगें।
12. उपरोक्त के अतिरिक्त शासन के नियोजन तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मार्ग निर्देशों को कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
13. जिला योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों में क्षेत्रवार निश्चित योजना (लोकेशन स्पेसिफिक एक्शन प्लान) की प्रतियां जिला समन्वय निस्तारण अधिकारी द्वारा जनप्रतिनिधियों, आयुक्त जिला अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। यह सूचना क्षेत्र व ग्राम स्तर भी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अवश्य उपलब्ध करायी जाय, ताकि वन एवं वन्य जीव विभाग के कार्य कलापों की जानकारी जन साधारण में रहें व कार्यों की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता बनी रहें।

14. व्यय को विभागीय मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम तथा अनुश्रवण समय सारणी भी प्रभागीय स्तर से लेकर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के स्तर तक सुनिश्चित कर ली जाय।
15. योजनान्तर्गत कार्यों हेतु ई-टेण्डरिंग विषयक समय-समय पर निर्गत शासनादेंशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं क्रय सम्बन्धी- समस्त कार्य जी0ई0एम0 पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।
16. पंचायती राज संस्थाओं को शक्तिशाली बनाने हेतु अधिकारों, दायित्वों एवं कार्यक्रमों के विकेन्द्रीकरण हेतु उत्तर प्रदेश शासन के परती भूमि विकास अनुभाग के शासनादेश संख्या-406/14- प0भू0वि0/99-3/99, दिनॉक 19-03-1999 के द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए संबंधित योजनाओं को कार्यान्वित किया जाए।
17. प्रश्नगत स्वीकृति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या पी-49/36-बी-15(जी)/बजट(2026-27), दिनांक 09.07.2026 में अंकित विवरण के आधार पर निर्गत की जा रही है। अतएव किसी भी लिपिकीय, आंकिक त्रुटि एवं प्रस्ताव में अन्य किसी विसंगति के लिए अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगें।
18. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगें कि प्रश्नगत स्वीकृति के सापेक्ष प्रस्तावित कार्यो की शतप्रतिशत सफलता सुनिश्चित की जाय।
19. प्रश्नगत योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो का जियो टैगिंग कराते हुए उक्त रिपोर्ट ससमय शासन को उपलब्ध करायी जाय। विभागाध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की द्विवरावृत्ति न हो।
20. उक्त के अतिरिक्त समस्त वित्तीय नियमों/प्राविधानों/निर्देशों एवं औपचारिकताओं का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
21. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष कराये गये कार्यो के फोटोग्राफ्स/भौतिक मासिक प्रगति रिपोर्ट/उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं वृक्षारोपण का सफलता प्रतिशत का विवरण समयबद्ध रूप से शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगें।
22. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। विभागाध्यक्ष पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि के व्यय के संबंध में सुनिश्चित हो लेंगे।
23. योजनान्तर्गत कार्यों हेतु ई-टेण्डरिंग विषयक समय-समय पर निर्गत शासनादेंशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं क्रय सम्बन्धी- समस्त कार्य जी0ई0एम0 पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।
24. विभागाध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

भवदीया,
नीरजा सक्सेना
विशेष सचिव।

<u>संख्या- 71(1)/2026/001-1457-81-4-2026, तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज तथा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रयागराज।
3. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष , उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. मुख्य वन संरक्षक, पूर्वी, दक्षिणी, केन्द्रीय, बुन्देलखण्ड, रूहेलखण्ड, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश तथा मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव, पश्चिमी, वन्यजीव, पूर्वी, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष , उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति तथा कार्यों की गुणवत्ता अपने स्तर से सुनिश्चित करायें।
10. समस्त वन संरक्षक/समस्त क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर प्रदेश।
11. वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्ययक्ष, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त तालिका में इगिंत जनपदवार प्रभागवार, आहरण एवं वितरण अधिकारीवार आवन्टित धनराशि को सम्बन्धित कोषागारों को निर्गत करने का कष्ट करें।
12. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
14. वित्त (व्यय-नियंत्रण, अनुभाग-7)/वित्त आय-व्ययक (अनुभाग-1)।
15. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-5।
16. निदेशक, सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
17. अनुभागीय आदेश पुस्तिका।
18. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
नीरजा सक्सेना
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।